नांक

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

(हरिताभ कुमार आदित्य आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :–272/2017

निर्णय दिनांकः–16.08..2018

उनवान

नाथू पुत्र श्योनारायण जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1. बदाम पत्नि रामअवतार जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
2. संतरा पुत्री रामअवतार जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
3. गणेश पुत्र रामअवतार जाति ब्राह्मण निवासी चैनपुरा तहसील निवाई जिला टोंक
4. तहसीदार निवाई

–प्रतिपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामावतार शर्मा वकील प्रार्थी

श्री अनुराग शर्मा वकील प्रतिपक्षीगण 1ता3

निर्णय

वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि ख.नं. 112/1/1/1/2 रकबा 0–12 बीघा वाके ग्राम चैनपुरा में भूमि स्थित थी जिसका प्रार्थी पूर्णतया खातेदार मालिक स्वामी काबिज काश्तकार चलता रहा। उक्त भूमि प्रार्थी को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया जाकर गैर खातेदारी हकूक प्रदान किया गया था जिसका अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में किया गया उक्त भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12 निकल जाने के कारण प्रार्थी के खातेदारी की उक्त भूमि रकबा 12 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 में अवाप्त की जा चुकी है जिसका मुआवजा भी प्रार्थी ने प्राप्त कर लिया है जिसके पश्चात् प्रार्थी की उक्त ख.नं. में 01 बिस्वा भूमि शेष निहित रही है जिसका प्रार्थी पूर्णतया खातेदार मालिक स्वामी चला आ रहा है। वर्णित भूमि ख.नं. 112/1/1/1/2 में नम्बर परिवर्तन होकर ख.नं. 112/1/2 अंकित किया गया किन्तु बाद में कम्प्यूटरीकरण के कारण उक्त ख.नं. के दो डिजिट में अंकित करते हुये ख.नं. 112/1 अंकित कर दिया गया। शेष रही 01 बिस्वा भूमि प्रार्थी में नाम दर्ज करनी चाहिए थी, को गलत व सहवनवश सिवायचक दर्ज कर दी जो गलत है जबकि प्रार्थी की 01 बिस्वा भूमि उक्त ख.नं. में शेष रही है जिसका प्रार्थी पूर्णतया मालिक स्वामी है इस कारण प्रार्थी को उपरोक्त वर्णित भूमि ख.नं. 112/1 में से प्रार्थी को 01 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के तहसीलदार निवाई को आदेश प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त भूमि के सटवा अप्रार्थीगण की अन्य भूमि स्थित है इस कारण अप्रार्थीगण जबरन अवैध व अवैधानिक तरीके से हॉल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की 01 बिस्वा भूमि सहश्नवश व त्रुटि से सिवायचक अंकित हो जाने के कारण प्रार्थी को उसकी भूमि से जबरन

उपखण्ड अधिकारी
निवाई, जिला टोंक

Scanned by CamScanner

बेदखल कर भूमि पर कब्जा व आधिपत्य कायम करने व मौके पर कच्चा पक्का निर्माण तामीर करने पर आमादा होकर प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिसका उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रा.पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि आराजी ख.नं. 112/1 रकबा 01 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिमी ओर स्थित प्रार्थी के मालिकाना स्वामित्व कब्जे एवं आधिपत्य की भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की मजाहमत मदाखलत दखल बाधा आदि न तो स्वयं करें और न ही किसी और से करवायें। ताफैसला वाद पाबन्द रहें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 की ओर से श्री अनुराग शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश किया गया कि आराजी ख.नं. 112/1/1/1/2 रकबा 12 बिस्वा वाके ग्राम चैनपुरा में से 11 बिस्वा भूमि एन.एच. द्वारा अवाप्त कर ली गई एवं शेष बची 01 बिस्वा भूमि संवत् 2054 से 2057 तक की खसरा गिरदावरी में पडत अंकित की हुई थी तथा प्रार्थी को दिनांक 02.2.1983 को भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा कृषि भूमि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई भूमि का आवंटन दिनांक 01.10.2003 को जिला कलेक्टर टोंक के द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने भू प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक के समक्ष भी अपील दायर की थी, जिसमें भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.10.2003 को यथावत रखा गया। इस प्रकार प्रार्थी के नाम वर्तमान में आराजी ख.नं. 112/1/1/1/2 की कोई भूमि अंकित नहीं है। प्रार्थी का उपरोक्त आराजी से कोई संबंध नहीं है, ना ही प्रार्थी का कभी उपरोक्त आराजी पर कोई कब्जा रहा। प्रा.पत्र प्रार्थी खारिज योग्य है। अवाप्ति के पश्चात् शेष 01 बिस्वा जमीन का आवंटन भी प्रार्थी के हक में निरस्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह कहना कि उपरोक्त आराजी का प्रार्थी खातेदार, मालिक, स्वामी, काबिज काश्तकार चला आ रहा है, सरासर गलत एवं बेबूनियाद है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जावे।

वकील प्रतिपक्षीगण 1 ता 3 की ओर से लिखित बहस पेश की गयी कि प्रार्थी ने बदनियतिपूर्वक वाद/प्रा.पत्र पेश किया है। उक्त भूमि स्वयं प्रार्थीगण के नाम नहीं है। ख.नं. 112/4 रकबा 01–07 बीघा जिसका सन् 1993 से एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई में विचाराधीन था जो कि दिनांक 12.7.15 में राजस्व लोक अदालत के माध्यम से निपटारा हो गया था उक्त डिक्री की पालना में नक्शा दुरूस्त करवाया गया एवं पत्थरगढी करवायी गयी थी। उपरोक्त वाद की सुनवाई लगभग 25 वर्षों तक हम खातेदार मान्य न्यायालय के आदेश यथास्थिति में पाबन्द रहे एवं पडौसी सरकारी भूमि में अतिक्रमण अधिक्रमण कर साथ ही हमारी भूमि में भी घुस गये थी जिससे पत्थरगढी के आदेश मान्य न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जी की पालना में तहसीलदार निवाई ने दिनांक 14.10.2007 को इनके द्वारा गठित टीम गिरदावर पटवारी व पुलिस जाप्ता एवं स्वय कमिश्नर तहसीलदार जी निवाई द्वारा पैमाईश पत्थरगढी की गई अप्रार्थीगण की सीमा पर सीमेन्ट के पोल कटीले तार की तारबन्दी प्रशासन की निशादेही में कर दिये गये थे। तहसीलदार प्रशासन ने पत्थरगढी में पाये गये सरकारी भूमि के अन्रिकमी राजाराम शंकर तथा मोहनलाल नाथूलाल पुत्र शिवनाथ(शिवनारायण) व राजाराम पुत्र रामनारायण को बेदखल किया था जिसके दौरान उक्त लोगों ने प्रशासन पर पत्थर फेंके एवं पटवारी के कपडे फाड दिये जिसमें राजाराम शंकर पुत्र दामोदर को शांति भंग में गिरफ्तार किया गया था जबकि राजकार्य में बाधा का मामला बनता

Scanned by CamScanner

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा जमानत पर छोडा गया था। अप्रार्थीगण ने परेशान होकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका पेश की गई थी। बेनामी प्रोबेशन एक्ट 1988 संशोधन 2017 में प्रावधानों के अन्तर्गत भी विधायिका द्वारा यह कानून पारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति बेनामी सम्पत्ति के मालिकाना काबिजाना हक नहीं प्राप्त कर सकता एवं किसी न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रा.पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जाकर उक्त सरकारी भूमि ख.नं. 112/1 एवं ख.नं. 112/1177 को स्वतंत्र व खुलासा करवाया जाने के आदेश फरमावें। वकील प्रार्थी ने लिखित बहस पेश की है कि प्रार्थी ने उक्त वाद भूमि ख.नं. 112/1/1/1/2 रकबा 12 बिस्वा ग्राम चैनपुरा जिसके परिवर्तित नम्बर ख.नं. 112/1/2 जिसका कम्प्यूटरीकरण नम्बर 112/1 रकबा 12 बिस्वा भूमि ग्राम चैनपुरा में स्थित थी उक्त ख.नं. में से एन.एच. 12 निकल जाने के कारण 11 बिस्वा भूमि एन.एच. 12 में अवाप्त हो जाने के पश्चात 01 बिस्वा भूमि शेष रही जिस पर प्रार्थी/वादी पूर्णतया खातेदार मालिक स्वामी चला आ रहा है प्रार्थी ने मौके पर चारों तरफ कांटो एवं तारबन्दी कर मौके पर उक्त भूमि में बाडा बना रखा है जिसमें वह जानवर वगै. बांधकर चारा पूस बलीता रेवडी वगै. डालकर काबिज मालिक होकर भूमि का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। एन.एच. अवाप्त 11 बिस्वा के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों ने सम्पूर्ण 12 बिस्वा को ही सिवायचक दर्ज कर दिया गया। जबकि शेष 01 बिस्वा प्रार्थी के खातेदारी में रखनी चाहिए थी। किन्तु त्रुटि व सहवनवश सम्पूर्ण भूमि सिवाय चक अंकित कर दिये जाने के कारण हॉल राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक भूमि बोलने के आधार पर अप्रार्थीगण जबरन अवैध व अवैधानिक तरीके से प्रार्थी को उसके कब्जे से बेदखल करने पर आमादा एवं उतारू है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला मूल वाद पाबन्द फरमाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

उभयपक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मनन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वर्णित भूमि ख.नं. 112/1 वाके ग्राम चैनपुरा सार्वजनिक सिवायचक भूमि दर्ज इन्द्राज है। आवंटन को श्रीमान न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रथम दृष्टिया प्रकरण साबित एवं प्रमाणित नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 16.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हरिताभ कुमार आदित्य
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned by CamScanner